

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
स्थापना अनुभाग

स.स्था./1-2/एम.ए.सी.पी./वेतन नियतन/ 2012-21/ 17

दिनांक: 08.04.2021

विषय: वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के वेतन-नियतन विकल्प के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के का.आ.स. 342 दिनांक 22.03.2021 तथा का.आ.स. 321 दिनांक 25.02.2021 का संज्ञान लें।

इस सम्बन्ध में कथन है कि इस कार्यालय में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये गए हैं तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को MACP का लाभ दिया गया है।

अतः जिन कर्मचारियों की पदोन्नति सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर हुई है तथा जिन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को MACP का लाभ दिया जाना है, वे वेतन नियतन का विकल्प दिनांक 22.04.2021 तक स्थापना अनुभाग में प्रेषित करें ताकि सम्बंधित अधिकारियों का वेतन नियतन किया जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

व. लेखापरीक्षा अधिकारी(स्था.)

आवश्यक कार्रवाई व सूचनार्थ प्रस्तुत:-

1.सम्स्त अनुभाग व लेखापरीक्षा दल

श्री. नरेन्द्र कर्मा, व.ले.प.

08/04/2021

श्री. नरेन्द्र कर्मा (व.ले.प.)
07/04/2021

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली - 110002

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन),
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली - 110 002

विषय : वेतन नियतन का विकल्प

महोदय/महोदया

..... रु. के वेतनमान में से
..... के रूप में प्रोन्नति के परिणामस्वरूप मैं अपने वेतन के नियतन के लिए
नियमानुसार विकल्प देता हूँ।

- (क) निम्नतर पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि की बढ़ोतरी पर बिना किसी आगे के पुनरीक्षण के प्रोन्नति की तारीख से मू. नि. 22 (क) के आधार पर उच्चतर पद में मेरा प्रारंभिक वेतन सीधे नियत किया जाए।
- (ख) प्रोन्नति पर मेरा वेतन मू. नि. 22 (ए) (1) के उप-पैरा 2 के अंतर्गत दिए गए ढंग से प्रारंभ में नियत किया जाए एवं निम्नतर पद के वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि के उपचित होने की तारीख से मू. नि. 22 (ए) के प्रावधानों के आधार पर पुनः किया जाए।

मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम है और वापस नहीं लिया जाएगा।

भवदीय

हस्ताक्षर

(तारीख सहित)

नाम

पद

अनुभाग